सार-समाचार

ग्रामीण सेवा शिविर आज से शुरू

छबड़ा (निसं)। उपखण्ड की प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण सेवा षिविर आयोजित होंगे। शिविर का समय सुबह साढ़े नौ से षाम छह बजे तक रहेगा। एसडीएम रामसिंह गुर्जर के अनुसार 17 सितंबर को चांचौड़ा के उच्च माध्यमिक स्कूल व भुवाखेडी के अटल सेवा केंद्र, 18 सितंबर को भीलवाडानीचा के उच्च माध्यमिक स्कूल, भूलोन के अटल सेवा केंद्र, 19 सितंबर को जैपला व कोटडापार के अटल सेवा केंद्र, 20 सितंबर को गोडियामेहर व तीतरखेडी के अटल सेवा केंद्र, 25 सितंबर को दिलोद व मूण्डला के अटल सेवा केंद्र, 26 सितंबर को उच्च माध्यमिक विद्यालय गुगोर व कडैयावन अटल सेवा केंद्र, 27 सितंबर को खोपर व बारई के अटल सेवा केंद्र, 3 अक्टूबर को फलिया व पाली के अटल सेवा केंद्र, 4 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक स्कूल हानाहेडी व पचपाड़ा अटल सेवा केंद्र, 9 अक्टूबर को निपानियां व झरखेडी के अटल सेवा केंद्र, 10 अक्टूबर को बापचा व कडैयाहाट के अटल सेवा केंद्र, 11 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक स्कूल सेमली, अटल सेवा केंद्र घाटाखेडी, 16 अक्टूबर को मूंडक्या व कडैयानोहर के अटल सेवा केंद्र, 17 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलनी में षिविर आयोजित होगे। इन षिविरो में फार्मर रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेषन कार्य, किसान गिरदावरी, आपसी सहमति से विभाजन, इंतकाल व नामांतकरण, मूल व जाति प्रमाण पत्र, जमाबंदी में नाम शुद्धि आदि कार्य किए जाएंगे।

प्रतियोगिता में खेलने का अवसर नहीं मिलने के कारण नाराजगी

छबड़ा (निसं)। 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में जिले में प्रथम बार ताइक्वांडो खेल (17 वर्षीय आयु वर्ग, पुरुष वर्ग) को सम्मिलित किया गया है। किंतु यहां के एक निजी स्कूल के एक खिलाडी को उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं मिल पाने के कारण प्रतियोगिता में खेलने का अवसर नहीं मिल पाने के चलते खिलाडियो में अंसतोश व्याप्त है। नियुद्ध गुरुकुल के रविकांत पांचाल ने बताया कि उक्त खिलाड़ी पिछले 8 माह से यहां के गुरुकुल में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। उन्होने बताया कि जब 17 वर्षीय आयु वर्ग में प्राथमिक विद्यालय को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं देने के बावजूद षिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। जबकि संबंधित खिलाडी का फार्म इस आयु वर्ग में सम्मिलित हो चुका था। बावजूद इसके विभाग द्वारा नियमों का हवाला देते हुए खेल को आयोजित करवाने से मना कर दिया है। इस मामले में एसडीएम, सीबीईओ को मुख्यमंत्री व षिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ताइक्वांडो खेल आयोजित करने की मांग की। ज्ञापन देने वालो में गौरव कश्यप, दीपक भार्गव, दीपक मेहता, सोनू शर्मा, सुधांशु श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

'हिन्दी समय के साथ आगे बढ़ रही है'

कोटा, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय कोटा में हिन्दी विभाग द्वारा हिन्दी सप्ताह के अंतर्गत व्याख्यान कार्यक्रम एवं विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य प्रो.अंजु कपूर ने बताया कि हिन्दी विभाग द्वारा हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार और छात्रों व युवाओं में अपनी भाषा के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के उद्देश्य से हिन्दी सप्ताह मनाया जा रहा जिसके तहत दूसरे दिन व्याख्यान एवं नारा लेखन प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, मुहावरा एवं लोकोक्ति ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आज के व्याख्यान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में प्रो. आर.पी.सोमानी रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी भाषा को व्यवहार में लाये बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हमें अपने हर कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भले ही अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ रहा हो लेकिन हिन्दी का महत्व और लोकप्रियता कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि वह समय के साथ आगे बढ़ रही है।

विमंदित बच्चों के बीच इनरव्हील क्लब ने खुशियाँ बाँटी

कोटा, (निसं)। मुक्ता जीवन सेवा संस्थान द्वारा थेकड़ा रोड़ स्थित विशेष विद्यालय में इनरव्हील क्लब, कोटा की ओर से सेवा एवं सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष चारू जैन ने कहा कि "इन मासूम बच्चों के बीच समय बिताकर हमें आत्मिक शांति और अपार संतोष प्राप्त हुआ।" क्लब की सदस्याओं ने बच्चों के साथ विविध खेल-खेलकर आनंद बाँटा तथा उन्हें मिठाइयाँ और खिलौने प्रदान किए। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष किरण अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। क्लब की सचिव नीरजा कोहली ने बताया कि "ऐसे आयोजनों से बच्चों को न केवल प्रसन्नता मिलती है, बल्कि समाज में मानवीय सरोकार और संवेदनशीलता भी प्रबल होती है।" कार्यक्रम में पूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन स्वाति गुप्ता, मंजू बंसल, नीता जैन,अंजलि अग्रवाल, किरण अग्रवाल, चंद्रकला ठक्कर सहित कई सदस्याएँ उपस्थित रहीं। विद्यालय की संचालिका आशा ने इनरव्हील क्लब की इस सेवा भावना की सराहना करते हुए हार्दिक आभार प्रकट किया।

नेटबॉल में जिला स्तरीय विजेता खिताब जीता

कोटा, (निसं)। जिले की 69वीं विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत आयोजित नेटबॉल प्रतियोगिता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आरएसी कॉलोनी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिलास्तरीय विजेता बनकर नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस मुकाबले में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आरएसी कॉलोनी ने सेमीफाइनल में मेकपाई स्कूल को 10/0 से पराजित किया। इसके बाद डीडीपीएस को भी 4/0से हराकर फाईनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में स्टेयर इंटरनेशनल स्कूल को 4/0 से पराजित कर पहला स्थान हासिल किया। शारीरिक शिक्षक शिव प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते चयनित खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर में कोटा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। विद्यालय की प्रधानाचार्या सुनीता जैन एवं दीपा यादव व समस्त स्टॉफ ने विजेता खिलाड़ियों का हृदयपूर्वक अभिनंदन किया। टीम की कप्तान इशिता चौधरी के नेतृत्व में टीम में योगिता मिश्रीवाल, अन्वी चंद्रावत, अर्पिता यादव, धनलक्ष्मी, रवीना गुर्जर, अनुष्का, वंशिका, हीती और प्रतूषा खिलाड़ी शामिल थी।

सेवा पखवाड़ा की बैठक आयोजित

छबड़ा (निसं)। भाजपा कार्यालय पर सेवा पखवाडा के तहत प्रदेश प्रतिनिधि हिम्मतसिंह सिंघवी के नेतृत्व में जिला संयोजक ब्रह्मानंद शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख सारिकासिंह चौहान, प्रकाश सुमन कवाई एवं राधेश्याम सिरोहिया के सानिध्य में बैठक आयोजित हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए वक्ताओ ने कहा कि 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक प्रत्येक मण्डल के प्रत्येक बूथ पर सेवा पखवाडा का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरे तन, मन, धन से कार्य करना है। सेवा सप्ताह के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ता किसी भी गरीब व्यक्ति की हरसंभव मदद के साथ-साथ रक्तदान शिविर आयोजित करे। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ को प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाएं एवं पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलवाना भाजपा कार्यकर्ता का नैतिक कर्तव्य है। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

नौ दिवसीय प्रवास पर आज कोटा आएंगे स्पीकर ओम बिरला

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार से 9 दिवसीय संसदीय क्षेत्र कोटा-बून्दी के प्रवास पर रहेंगे। स्पीकर बिरला बुधवार सुबह कोटा पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 7.30 बजे वे नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड 2 शक्तिनगर में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके बाद सुबह 9.30 बजे थेकड़ा स्थित राधिका रिसोर्ट में आयोजित नमो स्वास्थ्य जांच एवं सुपोषण शिविर में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे वे रामगंजमण्डी में सुपोषित माँ अभियान के तृतीय चरण का शुभारम्भ करेंगे। कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की जाएगी। स्पीकर ओम बिरला गुरुवार 18 सितम्बर को कोटड़ी चौराहे पर स्थित निरूशुल्क परिधान केन्द्र में नमो टॉय बैंक का शुभारम्भ करेंगे।

नाराज लोगों ने सीवरेज का काम बंद करवाया

कोटा, (निसं)। प्रदेश में सरकार बदले डेढ़ वर्ष से अधिक समय हो गया लेकिन ठेकेदार पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहे हैं। मामला औद्योगिक क्षेत्र का है जहां सीवरेज लाईन डालने के लिए बेतरतीब खुदाई और सड़क की मरम्मत नहीं करने से नाराज लोगों ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश सहसंयोजक इरशाद अली व गिरिराज महावर के नेतृत्व में सीवरेज का कार्य बंद करवा दिया।

पार्षद गिर्राज महावर व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश सहसंयोजक इरशाद अली ने बताया कि ठेकेदार द्वारा सीवरेज डालने के बाद रोड को खुदा

- **पहले खोदी सड़क बनाओं, फिर आगे काम करना**

कोटा में नाराज लोगों ने सीवरेज का कार्य बंद करवा दिया है।

हुआ ही छोड़ दिया गया और 3 सितम्बर को हुई डोल ग्यारस यात्रा व ईद मिलादुन्नबी जुलूस से पहले ठेकेदार ने डामर रोड़ बनाने का आश्वासन दिया गया था, जो आज तक नहीं बनाया गया है। इस कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, रोज लोग हिचकोले खाते हुए यहां से गुजरते हैं, कई लोग इन गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं, वहीं मुख्य मार्ग की दुकानों और मकानों में धूल भर जाती है और बीमार व्यक्तियों का तो जीना ही मुश्किल हो रहा है।

इसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा आगे की खुदाई की जा रही है जबकि नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्यौहार नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में नाराज लोगों के साथ आज काम बन्द करवा दिया है और पूर्व में खोदी गई गोविन्द नगर से एसएसएफ चौराहे की मुख्य सड़क एवं अन्य सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता तब तक आगे खुदाई नहीं करने दी जाएगी और सीवरेज का काम पूरी तरह बन्द रहेगा।

उन्होंने मौके से ही दूरभाष पर केडीए के अधिशासी अभियंता सागर मीणा, सहायक अभियंता सतीश तोमर से बात की उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझते हुए शीघ्र इस सड़क पर डामर का पेचवर्क करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद राजेंद्र सिंह हाड़ा, बृजमोहन बैरवा व्यापार संघ अध्यक्ष प्रेम नगर, पूर्व अध्यक्ष धनंजय तिवारी, प्रकाश झा, योगेश महावर, विनोद खटीक अंशुल आदि उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जागरूकता शिविर का आयोजन

कोटा, (निसं)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय कोटा द्वारा चंबल फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर केंद्रित एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों एवं प्रबंधन को भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई इस योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में सुधीर बत्रा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने योजना के लाभ, पंजीकरण प्रक्रिया तथा इससे संबंधित शर्तों की जानकारी साझा की और उपस्थितजनों के प्रश्नों का समाधान किया। सहायक भविष्य निधि आयुक्त कुमारी अनुराधा एवं प्रवर्तन अधिकारी अंकित शर्मा ने भी कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई। उन्होंने बताया कि यह योजना संगठित क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई है। सीएफसीएल के वरिष्ठ अधिकारी एस.एस. राजपूत एवं राजू सिंह उपस्थित रहे। इस योजना के अंतर्गत नए पंजीकृत कर्मचारियों को 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। पात्र नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 1,000 से 3,000 प्रतिमाह तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। योजना का लाभ लेने हेतु डिजिटल पंजीकरण, आधार संख्या तथा यूएएन की सक्रियता अनिवार्य होगी। ईपीएफओ अधिकारियों ने उपस्थित प्रतिभागियों को योजना की व्यावहारिक प्रक्रिया, पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, ईपीएफओ द्वारा आरंभ की गई नवीन ऑनलाइन सुविधाओं से भी उन्हें अवगत कराया गया। संस्थान की ओर से ईपीएफओ टीम के प्रयासों की सराहना की गई और यह कहा गया कि इस प्रकार के जागरूकता शिविर नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के बीच जानकारी के प्रसार में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होते हैं। कार्यक्रम में कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

कार ने बाइक को टक्कर मारी, युवक की मौत

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी इलाके में कार-बाईक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार केशोरायपाटन निवासी आदित्य मालव जो चंबल हेरिटेज रिवरफ्रंट पर सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात था, मंगलवार सुबह ड्यूटी खत्म करके अपने घर की तरफ जाते समय तेज रफ्तार कार ने बाईक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में घायल को उपचार के लिये एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि मंगलवार सुबह ड्यूटी से बाईक लेकर लौट रहे आदित्य मालव (20) जो रिवर फ्रंट पर गार्ड की नौकरी करता था, कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए बाईक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई।

आयकर रिटर्न और ऑडिट की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग

कोटा, (निसं)। सीए सेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोटा जिला अध्यक्ष सीए टिंकू जैन ने आयकर विभाग से मांग की है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2025 की जाए। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से आयकर पोर्टल लगातार तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा है। पोर्टल की धीमी गति, बार-बार हैंग होना, एआईएस/टीआईएस डाउनलोड न होना, चालान का भुगतान करने के बाद भी पोर्टल पर अपडेट न दिखना तथा आधार ओटीपी न मिलना जैसी समस्याओं के कारण लाखों करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनलों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीए जैन ने स्पष्ट किया कि इन परिस्थितियों में 16 सितम्बर तक आयकर रिटर्न दाखिल करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग द्वारा अंतिम समय पर केवल एक दिन (15 सितम्बर से 16 सितम्बर तक) की गई तिथि वृद्धि न तो व्यवहारिक है और न ही करदाताओं की समस्याओं का समाधान कर सकती है।

करदाताओं को राहत देने और सुगम अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु - आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2025 की जाए। ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर 30 नवम्बर 2025 की जाए। ऑडिटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की जाए। सीए टिंकू जैन ने जोर देकर कहा कि त्यौहारी सीजन को देखते हुए जल्द से जल्द ऑडिट की तिथि बढ़ाना आवश्यक है, ताकि करदाता और टैक्स प्रोफेशनल अनावश्यक तनाव व परेशानियों से बच सकें और अपना कार्य सहज रूप से कर सकें।

शिक्षा मंत्री के ओएसडी ने बैठक ली

छबड़ा (निसं)। शिक्षा मंत्री के ओएसडी सतीश गुप्ता ने मंगलवार को छबड़ा पहुंचकर छबड़ा-छीपाबडौद व बारां, अंता, शाहाबाद के सीबीईओं, पीईईओ, यूसीईईओ एवं प्रधानाचार्य की संयुक्त रूप से प्रशासनिक बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। ओएसडी गुप्ता ने बैठक में परीक्षा परिणाम, वृक्षारोपण, प्रधानाचार्य भूमिका, कर्तव्य, अभिभावक सम्पर्क, रात्रि विश्राम, मोबाइल का प्रयोग, शिक्षक-विद्यार्थी डायरी, वार्षिक योजना, उपस्थिति, सामाजिक चेतना, शिक्षण कार्य, जर्जर भवन, घर जैसा विद्यालय कैसे बनें सहित शिक्षा विभाग के समस्त प्रशासनिक बिंदुओं को लेकर समीक्षा की। संस्था प्रधानों से कहा कि विद्यालय में संस्था प्रधान ही केंद्र बिंदु है। विद्यालय की हर गतिविधि पर नजर होना चाहिए। शिक्षा में मात्रात्मक वृद्धि होने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना भी जिम्मेदारी होना चाहिए। विद्यालय के भौतिक और शैक्षणिक संसाधनों का कैसे बेहतर उपयोग हो, उसे समय-समय पर स्वयं, विद्यालय सहित स्टॉफ का निरीक्षण भी हर कार्य की योजना बनाकर करना चाहिए। बैठक में एडीओ बारां हरिमोहन गालव, छबडा सीबीईओ वीरेंद्रसिंह यादव, यूसीईईओ ओमप्रकाश गालव, छीपाबडौद सीबीईओ दिनेश कुमार भार्गव, सीबीईओ अंता ममता चौधरी, बारां सीबीईओ बिना मिश्रा, सेनि. संस्थापन अधिकारी जेडी कोटा, शाहाबाद सीबीईओ, पीईईओ आदि रहे।

गांजा सहित गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत इटावा थाने के थानाधिकारी संदीप बिश्नोई ने मय जाप्ता वन विभाग चौकी के समीप माखीदा रोड़ पर आकस्मिक चैकिंग के दौरान बाईक सवार युवक को रोककर संदेह होने पर उसकी तलाशी ली तो युवक के पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए इटावा निवासी प्रेमशंकर (26) को गिरफ्तार कर लिया।

मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, कलेक्टर ने निर्देश दिए

कोटा, (निसं)। मेडिकल कॉलेज में चल रहे सिविल एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ.संगीता सक्सेना ने कॉलेज परिसर में जारी निर्माण कार्यों, तैयार प्रस्तावों तथा बजट घोषणाओं में अब तक हुई प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक अधीक्षक डॉ. निलेश जैन, एमबीएस अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा, न्यू मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉ.अशुतोष शर्मा, जे.के. लोन से डॉ.गोपीकिशन तथा रामपुरा अधीक्षक डॉ.राकेश सिंह सहित पीडब्ल्यूडी एवं विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

डॉ.धर्मराज मीणा ने पीपीटी के माध्यम से हडको द्वारा तैयार प्रस्ताव की जानकारी देते हुए ड्रेनेज, सीवरेज, एसटीपी, पीजी हॉस्टल एवं रेसिडेंशियल ब्लॉक्स संबंधी कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस पर कलक्टर ने निर्देश दिए कि प्रस्ताव का पीडब्ल्यूडी टीम के साथ पुनः अवलोकन कर देखा जाए, ताकि बजट को प्राथमिकता के आधार पर अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाया जा सके और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो। उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं भविष्य में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए।

बैठक में डॉ.मीणा ने कनेक्टिंग कॉरिडोर संबंधी जानकारी दी जिससे मरीजों को आने-जाने में अधिक सुविधा होगी। डॉ.संगीता सक्सेना ने बताया कि मेडिकल कॉलेज एवं एमबीएस की लैबोरेट्री को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। उन्होंने मदर चाईल्ड यूनिट, कैंसर यूनिट, रिहैब सेंटर तथा पेशेंट वेटिंग एरिया से संबंधित वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और एसएससी बिल्डिंग के गेट रेस्टोरेशन कार्यों की स्थिति साझा की।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एमबीएस एवं मेडीकल कॉलेज में रिनोवेशन, सुधार एवं सिविल वर्क को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कलक्टर ने वेटिंग एरिया, लैबोरेट्री, ओटी एवं मॉड्यूलर ओटी के कार्यों से संबंधित निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी को एमबीएस, रामपुरा एवं न्यू मेडिकल कॉलेज में जल्द मेंटेनेंस चौकी खोलने के लिए निर्देश दिए ताकि सिविल एवं इलेक्ट्रिक कार्य समय पर पूरे किए जा सकें। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो तथा सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

कोटा मंडल के सवाईमाधोपुर-हिण्डौनसिटी खंड में संरक्षा ऑडिट निरीक्षण

- **वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने पुल, कर्व, समपार फाटक व स्टेशन यार्ड का गहन निरीक्षण किया**
- **संरक्षा मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया**
- **रेलवे टीम ने परखी सुरक्षा तैयारियां**

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय, जबलपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारियों की इंट्रा रेलवे संरक्षा ऑडिट टीम ने कोटा मंडल के सवाईमाधोपुर-हिण्डौनसिटी खंड में विभिन्न स्थलों पर संरक्षा ऑडिट निरीक्षण किया।

इस निरीक्षण का नेतृत्व प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी प्रवीण खोराना ने किया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान टीम ने मखोली-मलारना स्टेशनों के मध्य स्थित ब्रिज संख्या 343 डाउन, कर्व संख्या 66, लालपुर-ृउमरी-गंगापुरसिटी स्टेशनों के मध्य गंगापुरसिटी ट्रैक्शन सब स्टेशन, गंगापुरसिटी यार्ड में स्थित समपार फाटक संख्या 179/टी, गंगापुरसिटी स्टेशन, रिले रूम एवं कवच रूम का विस्तृत निरीक्षण किया।

इसके अतिरिक्त, पिलोदा-श्रीमहावीरजी स्टेशनों के मध्य स्थित थिक वेव एस.ई.जे., समपार फाटक संख्या 173/ई, हिण्डौनसिटी स्टेशन, प्वाइंट एवं क्रॉसिंग तथा एल.डब्ल्यू.आर. का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में मुख्यालय के अधिकारी जगराम मीना (मुख्य बिजली वितरण इंजीनियर), राजेश दत्त वाजपेयी (मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक), आर.एस. बीका (मुख्य चालन शक्ति इंजीनियर-डी एण्ड डीएम), प्रदीप कुमार (मुख्य इंजीनियर -आर.एस.डब्ल्यू), वी.के. श्रीवास्तव (मुख्य सिगनल इंजीनियर), पी. निम्बालकर (उप मुख्य संरक्षा अधिकारी -यांत्रिक) तथा अंकित सिंघई (वरिष्ठ संरक्षा अधिकारी सिगनल एवं दूरसंचार) सम्मिलित रहे।

कोटा मंडल से योगेश कुमार मित्तल (अपर मंडल रेल प्रबंधक-2) एवं गोरधन मीना (वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी/कोटा) भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कोटा मंडल के अभियान्त्रिकी, यांत्रिक, संकेत एवं दूरसंचार, ट्रैक्शन (टीआरडी), विद्युत एवं परिचालन विभाग के शाखा अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।

ऐसे संरक्षा ऑडिट निरीक्षण भारतीय रेलवे में संरक्षा मानकों को बेहतर बनाने की सतत प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इन निरीक्षणों से न केवल रेल संपत्ति के रखरखाव और प्रणालीगत दोषों की पहचान होती है बल्कि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु संसाधन और समाधान भी समय पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शिवदत्त शर्मा व मेरी पत्नी निर्मेश शर्मा 21 अरावली विहार बोरखेडा कोटा राज. के निवासी है। हमारे पुत्र शुभम शर्मा को हमने हमारी समस्त चल-अचल सम्पत्ति एवं समस्त अधिकारों से बेदखल कर दिया है। कोई भी व्यक्ति इससे किसी भी प्रकार का सव्यवहार व लेन-देन करता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे, उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं है। सूचित हो।

दिनांक: 16.09.2025

हस्ताक्षर पक्षकारान

1. शिवदत्त शर्मा (मो. 9461941889)
2. निर्मेश शर्मा

भवदीय
भूपेश यादवेन्द्र एडवोकेट
कोटा राज.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मेरे पक्षकारान पवन दुबे आयु 68 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण दुबे जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नं.59, गली नं. 3, सरस्वती कॉलोनी, रंगपुर रोड़, कोटा जं., कोटा (राज.) अपने गोदपुत्र अमन दुबे पुत्र श्री पवन दुबे निवासी लाट नं. 59, गली नं. 3, सरस्वती कॉलोनी, रंगपुर रोड़, कोटा जं, कोटा (राज) मुझसे विवाह के उपरान्त से ही अपनी पत्नी एवं ससुराल पक्ष के बहकावे में आकर लड़ाई झगड़ा करता है एवं मेरे पक्षकार की बात नही मानता है तथा मेरे पक्षकार के वश में नही है एवं मेरे पक्षकार की किसी प्रकार सेवा सुश्रुवा नही करता है इस कारण मेरे पक्षकार अपने गोदपुत्र अमन दुबे को अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते है और दिनांक 17.09.2025 के पश्चात मेरे पक्षकार का अपने गोदपुत्र अमन दुबे से किसी प्रकार का कोई संबंध नही रहेगा और कोई भी व्यक्ति अगर मेरे गोदपुत्र अमन दुबे से किसी प्रकार का कोई लेन-देन या किसी भी प्रकार का संव्यवहार करता है तथा किसी भी दीगर व्यक्ति को किसी प्रकार की हुई हानि के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। जिससे मेरे पक्षकार का कोई लेना-देना नही होगा। सूचित हो।

भवदीय
कोटा एडवोकेट, मुकेश कुमार

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1066 विज्ञप्ति दिनांक:-16.9.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम देवली अरब योजना "रोशन विहार" खसरा नं. 805, 806 में स्थित भूखंड संख्या 14 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री लोकेश गोयल पुत्र श्री राम दयाल निवासी-974-ए आर.के. पुरम कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 5768 दिनांक 14.10.2008 को (1) श्री वरुण अग्रवाल पुत्र श्री हरिमोहन अग्रवाल (2) सीमा अग्रवाल पत्नी श्री सुमन्त अग्रवाल (3) श्री विष्णु मित्तल पुत्र देवीशंकर मित्तल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखंड का बेचान जर्ये मुख्तार आम श्री ओम प्रकाश गर्ग पुत्र श्री महावीर प्रसाद गर्ग द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 22.08.2025 से श्री लोकेश गोयल पुत्र श्री राम दयाल को कर दिया गया है।

अतः श्री लोकेश गोयल पुत्र श्री राम दयाल के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/4342 दिनांक:-15.09.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री ईश्वर लाल आत्मज श्री श्री चम्पालाल जाति साहू निवासी बापचा तह. छबड़ा जिला (बारां)	696	ऑफिसर्स नगर कालोनी छबड़ा	262	20x40=800

नोटः- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101052 **लोक सूचना** दि.16.09.2025

श्री RAJESH KUMAR MEENA पुत्र श्री SHIV NATH जाति MEENA निवासी SAWAR DEHIT BUNDI RAJASTHAN श्री MOHAN पुत्र श्री SHYONATH जाति MEENA निवासी SAWAR DEHIT BUNDI RAJASTHAN श्री RAJENDRA KUMAR पुत्र श्री SHYONATH जाति MEENA निवासी SAWAR DEHIT BUNDI RAJASTHAN श्री PAPPU LAL पुत्र श्री SHIV NATH जाति MEENA निवासी 33 PURANI BASTI SANWAR DEHIT BUNDI श्री MUKUT BIHARI MEENA पुत्र श्री RANG LAL MEENA जाति MEENA निवासी 32 PURANI BASTI SANWAR BUNDI ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	संवर, तलेड़ा (बूंदी)	1.PAPPU LAL S/O SHYONATH 2.MOHAN S/O SHUONATH 3.RAJENDRA KUMAR S/O SHYONATH 4.RAJESH KUMAR S/O SHYONATH	273	24281	2.4281
			300	10926	1.0926
2.	संवर, तलेड़ा (बूंदी)	RAJESH KUMAR MEENA S/O SHIVNATH, SANWAR TALEDA BUNDI RAJASTHAN	646/515	7123	0.7123
			648/633	1983	0.1983
			601/285	3561	0.3561
			507/272	17725	1.7725
3.	संवर, तलेड़ा (बूंदी)	MUKUT BIHARI S/O RANGLAL CASTE-MEENA SA.DEH KHATEDAR	653/298	14570	1.457
				कुल	8.0169

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16/09/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1654 जाहिर आम सूचना दिनांक - 16.9.25

आवास संख्या 1-बी-33 तलवण्डी एस.एफ.एस. कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा डॉ. श्री बी.एल. चौरसिया पुत्र श्री जानकी लाल चौरसिया को किया गया था। इस आवास का पंजीयन डॉ. श्री बी. एल. चौरसिया पुत्र श्री जानकी लाल चौरसिया के नाम दिनांक 26.03.1991 को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर डॉ. श्री बंशी लाल चौरसिया पुत्र श्री जानकी लाल चौरसिया की मृत्यु दिनांक 26.04.2006 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण दिनांक 16.09.2011 को श्री विनोद चौरसिया पुत्र स्व. श्री डॉ. बी.एल. चौरसिया के नाम किया गया। तत्पश्चात् श्री विनोद चौरसिया पुत्र स्व श्री डॉ. बंशी लाल चौरसिया द्वारा इस आवास का बैचान जरिय विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 14.09.2023 को श्रीमती प्रेमलता बाफना पत्नी श्री पुखराज बाफना एवं श्री सुनील बाफना पुत्र श्री पुखराज बाफना को किया गया। श्रीमती प्रेमलता बाफना पत्नी श्री पुखराज बाफना एवं श्री सुनील बाफना पुत्र श्री पुखराज बाफना द्वारा इस कार्यालय मे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-बी-33 तलवण्डी एस.एफ.एस, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख मे संयुक्त रूप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास को विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती प्रेमलता बाफना पत्नी श्री पुखराज बाफना एवं श्री सुनील बाफना पुत्र श्री पुखराज बाफना में संयुक्त रूप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती प्रेमलता बाफना पत्नी श्री पुखराज बाफना एवं श्री सुनील बाफना पुत्र श्री पुखराज बाफना का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती प्रेमलता बाफना पत्नी श्री पुखराज बाफना एवं श्री सुनील बाफना पुत्र श्री पुखराज बाफना के नाम मण्डल अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा

क्रमांक 541 जाहिर आम सूचना दिनांक - 16.9.25

आवास संख्या 3/110 नैनवा का आवंटन मण्डल द्वारा श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री बद्रीलाल जैन को किया गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती शान्ती देवी पत्नी की बद्रीलाल जैन की मृत्यु दिनांक 29.01.2015 को एवं इनके पति श्री बद्रीलाल जैन पुत्र श्री देव लाल जैन की मृत्यु दिनांक 09.10.2014 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री महावीर कुमार जैन पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जैन, श्रीमती शिमला बाई जैन पुत्री स्व. श्री बद्रीलाल जैन पत्नी श्री तारा चंद जैन, श्रीमती विमला दीपक तोनगरे पुत्री स्व. श्री बद्रीलाल जैन पत्नी श्री दीपक तोनगरे एवं श्रीमती कमला गुप्ता पुत्री स्व. श्री बद्रीलाल जैन पत्नी श्री अशोक गुप्ता द्वारा उक्त आवास में निहीत अपने हिस्से का परित्याग जरिये घोषणा पत्र आलेखित कर दिनांक 11.06.2025 को श्री पदम कुमार जैन पुत्र स्व. श्री बद्री लाल के पक्ष में किया गया। श्री पदम कुमार जैन पुत्र स्व. श्री बद्री लाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3/110 नैनवा को उक्त आवास का हस्तांतरण/ प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र के आधार पर श्री पदम कुमार जैन पुत्र स्व. श्री बद्री लाल के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री पदम कुमार जैन पुत्र स्व. श्री बद्री लाल के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री पदम कुमार जैन पुत्र स्व. श्री बद्री लाल के नाम कर दिया जायेगा।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, मैट्रिक्स मॉल सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)-302004

गारंटर को सूचना-सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित **गारंटर श्रीमती कोमल बनवाडे पत्नी श्री राजकुमार उदयवाल (गारंटर), 71-B, श्रीनाथपुरम, मुख्य मार्ग, इंजीनियर कॉलेज, कोटा, जिला-कोटा, राजस्थान - 324010, श्री धर्मेन्द्र पारीक पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार पारीक (गारंटर), 21, लक्ष्मण विहार, ग्राम-कुन्हाडी, जिला-कोटा, राजस्थान -324008** ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करने में चूक की है तथा ऋण को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है, अतः उन्हें वह उनके लीगल वारिसान को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्रं सं.	ऋणी का नाम	प्रतिभूत आस्ति/बंधक संपत्ति का विवरण	नोटिस की दिनांक	एनपीए की दिनांक	बकाया ऋण (नोटिस की तारीख को)
1.	श्री राजकुमार उदयवाल पुत्र श्री प्रेमचंद उदयवाल	आवासीय भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक स्थित मकान संख्या 71-ठ, श्रीनाथपुरम, कोटा, जिला-कोटा (राज.), क्षेत्रफल 1872.24 वर्ग फुट, स्वामित्व श्री राजकुमार उदयवाल पुत्र श्री प्रेमचंद उदयवाल के नाम। **सीमाएँ: पूर्व:** सड़क, **उत्तर:** प्लॉट संख्या 70, **पश्चिम:** प्लॉट संख्या 44, **दक्षिण:** सड़क	01.09.2025	20.05.2025	रूपये **74,34,811.67** (रुपये चौहत्तर लाख चौंतीस हज़ार आठ सौ ग्यारह और सड़सठ पैसे मात्र) दिनांक **01.09.2025** तक एवं उसके आगे का ब्याज एवं अन्य खर्च आदि।

नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता(ओं) और/या उनके गारंटर(ओं) (जब भी लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। **उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।**

दिनांक: 17.09.2025, स्थान: जयपुर प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर